पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण 2

15 वां वित्त आयोग एवं स्वच्छता

संविधान में 73वें संशोधन के अनुरूप, 15वें वित्त आयोग (एफसी) ने ग्रामीण स्थानीय निकायों/ पंचायती राज संस्थाओं (आरएलबी/पीआरआई) को अगले पांच वर्षों, अर्थात् 2025–26 तक अनुदान देने की सिफारिश की गई है। इसके अनुसार, जल आपूर्ति और स्वच्छता, आरएलबी के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, इसलिए 60% निधि को बंधित अनुदान यानि टाइड ग्रांट के रूप में प्रदान किया जाता है जो क) स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखने के लिए और ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए इस्तेमाल हो सके। इस अनुदान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने और गांवों में बेहतर स्वच्छता प्रदान करने की अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में मदद करना है, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

2021–22 से 2025–26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का वर्ष–वार विवरण निम्नानुसार है:

ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए विस्तृत वर्ष–वार अनुदान

						(करोड़ रुपए)
अनुदान	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल अनुदान
कुल अनुदान	44901	46513	47018	49800	48573	236805
अनटाइड (40%)	17961	18605	18806	19920	19429	94721
टाइड (60%)	26940	27908	28212	29880	29144	142084
(क) पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण	13470	13954	14106	14940	14572	71042
(ख) स्वच्छता एवं ओडीएफ दर्जे को बनाए रखना	13470	13954	14106	14940	14572	71042

ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएल) द्वारा 15वें वित्त आयोग टाइड ग्रांट का उपयोग बुनियादी सेवाओं जैसे कि (क) पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण तथा ख) स्वच्छता एवं ओडीएफ दर्ज़े को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, अगर किसी आरएलबी ने एक श्रेणी की जरूरतों को परिपूर्ण कर लिया है, तो वह ग्राम सभा से अनुमति प्राप्त करने के बाद दूसरी श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकती है।

ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत (तीनों स्तरों) के लिए निधियों के वितरण की सीमा नीचे तालिका में दी गई है। राज्य द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदान का वितरण इसके अनुसार किया जाना है।

तीन स्तरों के लिए निधियों के वितरण की सीमा

वितरण की सीमा	ग्राम पंचायत	ब्लॉक पंचायत	जिला पंचायत
न्यूनतम	70%	10%	5%
अधिकतम	85%	25%	15%

सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करना है कि पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों ने **ई-ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर** का उपयोग करके संबंधित सेवाओं पर स्वच्छता की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है, तथा उन्हें 15वें एफसी अनुदान के तहत धन आवंटित किया जा रहा है।

अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पात्रता मानदंड

2021-22 और 2022-23

पुरस्कार अवधि के पहले (2021–22) और दूसरे (2022–23) वर्षों में, राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कम से कम 25 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास पिछले वर्ष के उपलब्ध अस्थाई खाते और पिछले से पहले वर्ष के ऑडिटेड खाते सार्वजनिक डोमेन में ऑनलाइन उपलब्ध हो ताकि वे उस वर्ष के लिए पूर्ण अनुदान प्राप्त कर सकें।

2023-24, 2024-25 और 2025-26

स्थानीय निकायों के पिछले वर्ष के अस्थाई खाते और पिछले से पहले वर्ष के ऑडिटेड खाते ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर ही, तीसरे वर्ष (2023–24) से राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए देय कुल अनुदान प्राप्त होगा।

15वें वित्त आयोग अनुदान जारी करने की शर्तः 15वें वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि जिन राज्यों ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन नहीं किया है और उनकी सिफारिशों को सही ढंग से लागू नहीं किया है, उन्हें एसएफसी का गठन करना चाहिए, तथा उनकी सिफारिशों को सही ढंग से लागू करना चाहिए और मार्च 2024 को या उससे पहले उस पर किए गए कार्य के रूप में व्याख्यात्मक ज्ञापन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना चाहिए। मार्च 2024 के बाद, उस राज्य को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा जिसने एसएफसी और इन शर्तों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया है।

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 15वां वित्त आयोग अनुदान उपलब्ध नहीं है।

ग्राम पंचायत विकास योजना/ ब्लॉक पंचायत विकास योजना/ जिला पंचायत विकास योजना

आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी करना अनिवार्य है। जीपीडीपी के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया व्यापक और भागीदारी पर आधारित होनी चाहिए, जिसका एसबीएम (जी) चरण-2 दिशानिर्देशों के साथ पूर्ण अभिसरण हो। इसके अलावा गांवों में ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से ओडीएफ गांवों को ओडीएफ प्लस में बदलना इस योजना का उद्देश्य होना चाहिए। इसी तरह ब्लॉक पंचायत एवं जिला पंचायत को अपनी विकास योजना तैयार करनी है।

ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए चेकलिस्ट

- ☐ 15वें वित्त आयोग के अनुदान का सर्वोत्तम उपयोग और धन के अन्य स्रोतों के साथ अभिसरण करें।
- ☐ ग्राम सभा, एसबीएम (जी) चरण-2 दिशानिर्देशों के अनुसार ओडीएफ प्लस स्थिति को प्राप्त करने के लिए एजेंडा को प्राथमिकता दें।
- ☐ स्वच्छाग्रहियों को फ्रंटलाइन कार्यकर्ता की टीम का हिस्सा बनाएं।
- ☐ ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल करने में आ रही कमियों की पहचान करनी चाहिए।
- ☐ इन कमियों के आधार पर उन स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का चयन किया जा सकता है जो ई-ग्रामस्वराज में उल्लिखित हैं।

ब्लॉक पंचायत विकास योजना के लिए चेकलिस्ट

- ☐ गांवों के समूह/ ग्राम पंचायतों के अधिकतम लाभ के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दें।
- ☐ 15वें वित्त आयोग के अनुदान का सर्वोत्तम उपयोग और धन के अन्य स्रोतों के साथ अभिसरण करें।
- ☐ ग्राम पंचायत स्तर पर बनाई गई विकास योजना को ब्लॉक स्तर पर समेकित करें।
- ☐ ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर की गतिविधियों की समयबद्ध निगरानी, रिपोर्टिंग एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करें।

जिला पंचायत विकास योजना के लिए चेकलिस्ट

- ☐ गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर नियोजित गतिविधियों की निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन की व्यवस्था करें।
- ☐ एआईपी के तहत विस्तृत आईईसी योजना तैयार करें।
- ☐ गांवों और ब्लॉकों के समूहों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की योजना बनाएं।
- ☐ परिसंपत्तियों के निर्माण और प्रबंधन के लिए एजेंसी की पहचान के लिए प्रावधान करें।
- ☐ किसी गांव के ओडीएफ प्लस होने की घोषणा के 90 दिनों के भीतर उस गांव का तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाएं।

एसएलडब्ल्यूएम परिसंपत्तियों के निर्माण और रखरखाव के लिए मनरेगा के साथ अभिसरण

ओडीएफ प्लस कार्यक्रम को लागू करने के लिए मनरेगा के माध्यम से श्रम की लागत को पूरा किया जा सकता है। हम योजना के कार्यान्वयन में मनरेगा के तहत स्वीकार्य गतिविधियों को अनुकूलित कर सकते हैं।

मनरेगा निधि का उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों में किया जा सकता है:

- सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी) का निर्माण
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परिसंपत्तियों का निर्माण (जैसे कम्पोस्ट पिट, पृथक्करण केंद्र, संग्रह केंद्र आदि)
- अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण (अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब, सामुदायिक सोक पिट, ड्रैनेज चैनल, आदि)

अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण

यह कार्यक्रम अभिसरण क्रियाओं तथा परिसंपत्तियों और सेवाओं के सह-वित्तपोषण के लिए डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम को केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं जैसे – ग्रेवाटर प्रबंधन के लिए जल जीवन मिशन, राज्य निधि, एमपीलैड, एमएलएएलएडी, परिसंपत्तियों के सह-वित्तपोषण के लिए वित्त आयोग निधि, निधियों और पदाधिकारियों के संयोजन के लिए मनरेगा, फील्ड कार्यकर्ताओं के कौशल विकास के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, एवं बीसीसी के लिए एनआरएलएम द्वारा एसएचजी की सहभागिता आदि – के साथ मिलाकर लागू किया जाना है।

स्वच्छता संबंधी गतिविधियों की सूची

गतिविधि का स्तर	अवयव	गतिविधियों का विवरण	धन के स्रोत
ग्राम पंचायत	गृहस्थी स्वच्छता	• पात्रता प्राप्त घरों के लिए आईएचएचएल (इडिविजुल हाउसहोल्ड लैट्रिन) का निर्माण	• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण (जी)), पीएमजीएवाई, मनरेगा
	सामुदायिक स्वच्छता	• जरूरत महसूस होने पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण और समुदाय द्वारा संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी लेना	• स्वच्छ भारत मिशन (जी), 15वां वित्त आयोग, मनरेगा, परिसर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर)
		• सामुदायिक स्वच्छता परिसर का संचालन और रखरखाव	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल
	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	• व्यक्तिगत परिवारों के लिए कम्पोस्ट पिट का निर्माण	• मनरेगा, अन्य स्रोत
		• परिवारों के समूह के लिए सामुदायिक कम्पोस्ट पिट का निर्माण	• स्वच्छ भारत मिशन (जी), 15वां वित्त आयोग, मनरेगा, अन्य स्रोत
		• सामुदायिक कम्पोस्ट पिट का संचालन और रखरखाव	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
		• गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण और उपचार के लिए शेड का निर्माण	• 15वां वित्त आयोग, मनरेगा, अन्य स्रोत
		• कंपोस्टिंग यूनिट का संचालन और रखरखाव	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत

(Continued)

(Continued)

स्वच्छता संबंधी गतिविधियों की सूची

गतिविधि का स्तर	अवयव	गतिविधियों का विवरण	धन के स्रोत
ग्राम पंचायत	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	• घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने के लिए ट्राइसाइकिल/बैटरी से चलने वाले अन्य वाहनों की खरीद	• स्वच्छ भारत मिशन (जी), 15वां वित्त आयोग, अन्य स्रोत
		• घर से कचरा इकट्ठा करने और उपचार स्थल तक पहुंचाने के लिए परिवहन सेवाएं	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
		• अपशिष्ट प्रबंधन परिसरों की सफाई के लिए उपकरणों की खरीद	• 15वां वित्त आयोग, अन्य स्रोत
		• सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाने वाले पृथक्करण कूड़ेदानों की खरीद	• 15वां वित्त आयोग, अन्य स्रोत
		• स्रोत पर गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करने के लिए पृथक्करण कूड़ेदान (जुड़वां कूड़ेदान) की खरीद	• घरेलू योगदान, अन्य स्रोत
		• सार्वजनिक स्थलों पर लगने वाले कूड़ेदानों की खरीद	• 15वां वित्त आयोग, अन्य स्रोत
		• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित अन्य संचालन और रखरखाव संबंधित जरूरतें पूरी करना	• 15वां वित्त आयोग, अन्य स्रोत
	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन	• प्लास्टिक को निपटान स्थल ले जाने से पहले तक उसका भंडारण सुनिश्चित करने के लिए प्लास्टिक कचरा भंडारण इकाई का निर्माण	• स्वच्छ भारत मिशन (जी), 15वां वित्त आयोग, मनरेगा, अन्य स्रोत
	तरल अपशिष्ट प्रबंधन	• ग्रेवाटर प्रबंधन प्रणाली: अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब (डब्ल्यूएसपी), आदि बनाना	• स्वच्छ भारत मिशन (जी), 15वां वित्त आयोग, मनरेगा, सीएसआर, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
		• ग्रेवाटर प्रबंधन प्रणाली का संचालन और रखरखाव	• 15वां वित्त आयोग, अन्य स्रोत
		• तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जल निकासी चैनल का निर्माण	• 15वां वित्त आयोग, मनरेगा, अन्य स्रोत
		• छोटे–बोर पाइप कन्वेंस सिस्टम का निर्माण	• 15वां वित्त आयोग, मनरेगा, अन्य स्रोत
		• सामुदायिक ग्रेवाटर प्रबंधन प्रणाली में छोड़ने से पूर्व ग्रेवाटर के उपचार के लिए गाद, तेल और ग्रीस कक्ष का निर्माण	• 15वां वित्त आयोग, मनरेगा, अन्य स्रोत
		• ऑनसाइट ग्रेवाटर प्रबंधन हेतु अलग-अलग घरों के लिए सोक पिट का निर्माण	• मनरेगा, अन्य स्रोत
		• ऑनसाइट ग्रेवाटर प्रबंधन हेतु घरों के समूह के लिए सामान्य सोक पिट का निर्माण	• स्वच्छ भारत मिशन (जी), 15वां वित्त आयोग, मनरेगा, अन्य स्रोत
		• सोक पिट का संचालन और रखरखाव	• 15वां वित्त आयोग, अन्य स्रोत
		• जल निकासी चैनल की मरम्मत	• 15वां वित्त आयोग, अन्य स्रोत
	मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन	• स्कूलों, आंगनवाडी केन्द्रों, पंचायत भवन और सीएससी जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेनेटरी पैड डिस्पेंसर की खरीद (सीपीसीबी और एसपीसीबी द्वारा स्वीकृत)	• 15वां वित्त आयोग, सीएसआर, अन्य स्रोत
		• स्कूलों, आंगनवाडी केन्द्रों, पंचायत भवन और सीएससी जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेनेटरी पैड इंसीनरेटर की खरीद (सीपीसीबी और एसपीसीबी द्वारा स्वीकृत)	• 15वां वित्त आयोग, सीएसआर, अन्य स्रोत

(Continued)

(Continued)

स्वच्छता संबंधी गतिविधियों की सूची

गतिविधि का स्तर	अवयव	गतिविधियों का विवरण	धन के स्रोत
ग्राम पंचायत	गोबर-धन	• सामुदायिक स्तर पर गोबर-धन परियोजनाओं का निर्माण	• स्वच्छ भारत मिशन (जी), 15वां वित्त आयोग, मनरेगा, सीएसआर, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
		• गोबर-धन परियोजना का संचालन और रखरखाव	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
	मलयुक्त गाद प्रबंधन	• डीप रो एंट्रेंचमेंट	• स्वच्छ भारत मिशन (जी), 15वां वित्त आयोग, मनरेगा, सीएसआर, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
		• प्लांटेड ड्राइंग बेड	• स्वच्छ भारत मिशन (जी), 15वां वित्त आयोग, मनरेगा, सीएसआर, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
		• अनप्लांटेड ड्राइंग बेड	• स्वच्छ भारत मिशन (जी), 15वां वित्त आयोग, मनरेगा, सीएसआर, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
		• घरों/सामुदायिक स्वच्छता परिसरों, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के शौचालय से मल गाद एकत्रण और एफएसएम संयंत्र तक परिवहन सेवाएं (केवल मशीन द्वारा सफाई की अनुमति है)	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
		• मल गाद प्रबंधन संयंत्र का संचालन और रखरखाव	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत

गतिविधि का स्तर	अवयव	गतिविधियों का विवरण	धन के स्रोत
ब्लॉक पंचायत	सामुदायिक स्वच्छता	• सार्वजनिक स्थानों, जहाँ पर स्वच्छता सुविधा की सख्त जरूरत है, वहां सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण	• स्वच्छ भारत मिशन (जी), 15वां वित्त आयोग, सीएसआर, मनरेगा, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	• जिन गांवों के समूह से ठोस कचरा एकत्र और संग्रहीत किया जा सकता है, उनके लिए ठोस कचरा प्रबंधन शेड का निर्माण	• 15वां वित्त आयोग, सीएसआर, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन	• गांवों के समूह के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का निर्माण	• स्वच्छ भारत मिशन (जी), 15वां वित्त आयोग, सीएसआर, मनरेगा, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
		• गांवों की संयुक्त प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का संचालन और रखरखाव	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
		• प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई तक प्लास्टिक कचरे के परिवहन के लिए वाहन की व्यवस्था	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
	तरल अपशिष्ट प्रबंधन	• गांवों के समूह से सामान्य उपचार इकाई तक अपशिष्ट जल के परिवहन के लिए जल निकासी व्यवस्था	• 15वां वित्त आयोग, मनरेगा, अन्य स्रोत
		• गांवों के समूह के लिए अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाबों का निर्माण	• स्वच्छ भारत मिशन (जी), 15वां वित्त आयोग, मनरेगा, अन्य स्रोत
		• बहु-ग्राम (मल्टी-विलेज़) की अपशिष्ट जल व्यवस्था का संचालन और रखरखाव	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत

(Continued)

(Continued)

स्वच्छता संबंधी गतिविधियों की सूची

गतिविधि का स्तर	अवयव	गतिविधियों का विवरण	धन के स्रोत
ब्लॉक पंचायत	गोबर-धन	• गोबर-धन इकाइयों की स्थापना, उन गांवों के समूह के लिए जो पशु-जनित और अन्य अपशिष्ट के स्रोत हैं	• 15वां वित्त आयोग, अन्य स्रोत
		• गांवों से मल्टी-विलेज़ कंप्रेस्ड बायोगैस यूनिट तक पशु-जनित तथा अन्य अपशिष्ट का परिवहन	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
		• गोबर-धन इकाइयों का संचालन और रखरखाव	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
	मलयुक्त गाद प्रबंधन	• गांवों से मल गाद इकट्ठा करने और एफएसएम संयंत्र तक ले जाने के लिए सेवाएं (केवल मशीन द्वारा सफाई की अनुमति दी गई है)	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
		• मल गाद प्रबंधन संयंत्र का संचालन और रखरखाव	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत

गतिविधि का स्तर	अवयव	गतिविधियों का विवरण	धन के स्रोत
जिला पंचायत	सामुदायिक स्वच्छता	• जिन सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता सेवाओं की सख्त जरूरत है, वहां पर सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण	• स्वच्छ भारत मिशन (जी), 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, सीएसआर, अन्य स्रोत
	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	• जिन गांवों के समूहों से ठोस कचरा इकट्ठा और भंडारित किया जा सकता है, उनके लिए ठोस कचरा प्रबंधन शेड का निर्माण	• स्वच्छ भारत मिशन (जी), 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, सीएसआर, अन्य स्रोत
	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन	• गांवों/ब्लॉकों के समूह के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का निर्माण	• स्वच्छ भारत मिशन (जी), 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, सीएसआर, अन्य स्रोत
		• मल्टी-विलेज़ प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई का संचालन और रखरखाव	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, सीएसआर, अन्य स्रोत
		• गांवों से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई तक प्लास्टिक कचरे के परिवहन की सुविधा	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, सीएसआर, अन्य स्रोत
	तरल अपशिष्ट प्रबंधन	• गांवों से उपचार इकाई तक अपशिष्ट जल के परिवहन के लिए जल निकासी व्यवस्था	• मनरेगा, 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, सीएसआर, अन्य स्रोत
		• गांवों के समूह के लिए अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाबों का निर्माण	• स्वच्छ भारत मिशन (जी), 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, सीएसआर, अन्य स्रोत
		• मल्टी-विलेज़ अपशिष्ट जल व्यवस्था का संचालन और रखरखाव	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, सीएसआर, अन्य स्रोत

(Continued)

(Continued)

स्वच्छता संबंधी गतिविधियों की सूची

गतिविधि का स्तर	अवयव	गतिविधियों का विवरण	धन के स्रोत
जिला पंचायत	मलयुक्त गाद प्रबंधन	• गांवों से मल गाद इकट्ठा करने और एफएसएम संयंत्र तक ले जाने के लिए सेवाएं (केवल मशीन द्वारा सफाई की अनुमति दी गई है)	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
		• मल गाद प्रबंधन संयंत्र का संचालन और रखरखाव	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
	गोबर-धन	• गोबर-धन इकाइयों की स्थापना, उन ब्लॉकों के समूह के लिए जो पशु-जनित और अन्य अपशिष्ट के स्रोत हैं	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
		• कई ब्लॉकों के गांवों से पशु-जनित तथा अन्य अपशिष्ट का मल्टी-विलेज़ कम्प्रेस्ड बॉयोगैस युनिट तक परिवहन	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत
		• गोबर-धन इकाइयों का संचालन और रखरखाव	• 15वां वित्त आयोग, बिज़नेस मॉडल, अन्य स्रोत

ध्यान दें: ग्राम पंचायत/ ब्लॉक पंचायत/ जिला पंचायत (तीनों स्तरों) को आवंटित की गई सेवाओं की सूची संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचलित प्रणाली के अनुसार पुनः आवंटित की जा सकती है।

ओडीएफ प्लस गांव

ओडीएफ की स्थिति बरकरार रखने वाले गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था होती है और यह गांव साफ-सुथरा होता है।

घरेलू शौचालय: हर घर में उपलब्ध है और नियमित रूप से उपयोग किया जाता है

संस्थानों में शौचालय: आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूलों और पंचायत घरों में उपलब्ध है और नियमित रूप से उपयोग किया जाता है

सामुदायिक स्वच्छता परिसर: ज़रूरत के अनुसार उपलब्ध है और नियमित रखरखाव किया

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) व्यवस्थाएं

बॉयोडिग्रेडेबल अपशिष्ट: संग्रह, पृथक्करण और उपचार (कम्पोस्ट पिट, पृथक्करण शेड, आदि)

प्लास्टिक अपशिष्ट: संग्रह, पृथक्करण और फॉरवर्ड लिंकेज

गोबर-धन: पशु अपशिष्ट और कृषि-अपशिष्ट का प्रबंधन

तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) व्यवस्थाएं

ग्रेवाटर: सुरक्षित निपटान (सोक पिट, मैजिक पिट, किचन गार्डन, डब्ल्यूएसपी, आदि)

ब्लैक वॉटर: सुरक्षित निपटान और फॉरवर्ड लिंकेज (रेट्रोफिटिंग, सेप्टिक टैंक के लिए सोक पिट, अन्य एफएसएम विधियां)

सत्यमेव जयते
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर